अध्याय ।
केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रशासन

1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिलों के जारी करने से प्राप्त सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋण की वापसी से प्राप्त समस्त राशियाँ शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की राजस्व प्राप्तियाँ शामिल हैं। नीचे तालिका 1.1 वित्त वर्ष 2016-17 (वि.व.17) तथा वि.व. 16 के संसाधनो का सार दर्शाती है।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन

(₹ करोड़ में)

	वि.व.17	**वि.व.16**
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	22,23,986	19,42,353
i. *प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां*	8,49,801	7,42,012
ii. *अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां*	8,66,167	7,13,879
iii. *गैर-कर प्राप्तियां*	5,06,721	4,84,581
iv. *सहायता अनुदान एवं अंशदान*	1,299	1,881
ख. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ[1]	47,743	42,132
ग. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली[2]	40,971	41,878
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां[3]	61,34,137	43,16,950
भारत सरकार की कुल प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)	**84,46,839**	**63,43,313**

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे। वि.व.17 के आंकड़े अनंतिम हैं।

नोट: अन्य करों सहित प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की गणना संघ वित्तीय लेखे से की गई है। कुल राजस्व प्राप्तियों में सीधे राज्यों को सौंपे गए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की निवल प्राप्तियों के हिस्से के रूप में वि.व. 16 में ₹ 5,06,193 करोड़ तथा वि.व. 17 में ₹ 6,08,000 करोड़ शामिल है।

संघ सरकार की कुल प्राप्तियों में वि.व. 16 में ₹ 63,43,313 करोड़ से वि.व. 17 में ₹ 84,46,839 करोड़ तक की वृद्धि हुई। विव. 17 में इसकी अपनी प्राप्तियां ₹ 22,23,988 करोड़ थी, ₹ 2,81,635 करोड़ की बढ़ोतरी जो पिछले वर्ष से 14.50 प्रतिशत अधिक थी। इसमें ₹ 17,15,968 करोड़ की सकल कर

---

[1] इसमे बोनस शेयर का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियां शामिल हैं;

[2] संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली;

[3] भारत सरकार द्वारा आंतरिक के साथ साथ बाह्य उधारियां

प्राप्तियां शामिल है जिसमें ₹ 8,66,167 करोड़ की अन्य कर सहित सकल अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां थी।

1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

यह प्रतिवेदन वि.व. 17 तक के लिए आयोजित लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा इसमें वि.व. 16 तक के केंद्रीय उत्पाद शुल्क की उगाही एवं संग्रहण सहित उस तारीख तक प्रचलित लेन-देन शामिल हैं जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

क) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क: केंद्रीय उत्पाद शुल्क भारत में विनिर्मित या उत्पादित माल पर लगाया जाता है। संसद को मानव उपभोग के लिए शराब, अफीम, भारतीय गांजा और अन्य नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों को छोड़कर किन्तु शराब, अफीम इत्यादि वाले औषधीय और प्रसाधन पदार्थों सहित भारत में विनिर्मित या उत्पादित तम्बाकू और अन्य माल पर उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84)।

ख) सेवा कर: कर योग्य क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 97)। सेवाकर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दी गई सेवाओं पर कर है। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66बी में प्रावधान है कि नकारात्मक सूची में विनिर्दिष्ट को छोड़कर, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कर योग्य क्षेत्र में दी गई सेवाओं या सेवाएँ देने पर सहमति देने वाली सभी सेवाओं के मूल्य पर 14 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा और इस रूप में वसूल किया जाएगा जैसा निर्धारित[4] किया जाय। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए प्रतिफल हेतु गतिविधि (उनमें छोड़ी गई मदों के अलावा) और उसको घोषित सेवा[5] में शामिल करने के लिए 'सेवा' को वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65बी(44) में परिभाषित किया गया हैं।

---

[4] 1 जुलाई 2012 से वित्त अधिनियम 2012 द्वारा सम्मिलित धारा 66बी, धारा 66 डी में मदों की सूची है जो ऋणात्मक सूची से बनी है।

[5] वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ई घोषित सेवाओं को सूची बद्ध करती है।

ग) सीमाशुल्क: भारत में आयातित माल और भारत से बाहर निर्यात होने वाले कुछ माल पर सीमाशुल्क लगाया जाता हैं (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83)।

यह विचारणीय है कि 1 जुलाई 2017 से केंद्रीय उत्पाद शुल्क (पेट्रोलियम व कुछ तम्बाकु पदार्थों के छोडकर), सेवा कर और राज्यों के लगभग सभी अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क के प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) व विशेष अतिरिक्त शुल्क (एस.ए.डी.) घटकों को छोडकर, माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) में सम्मिलित हो गये हैं।

इस अध्याय में वित्त लेखे, विभागीय लेखे और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध संबंधित डाटा का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद में प्रवृत्तियों, संयोजन और प्रणालीगत मुद्दों पर चर्चा की गई है।

1.3 संगठनात्मक ढाँचा

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देशन तथा नियंत्रण के तहत कार्य करता है और केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित दो सांविधिक बोर्ड नामत: केंद्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित मामलों का समन्वय करता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने और इसके संग्रहण से संबंधित मामलों की सीबीईसी द्वारा देखभाल की जाती है।

अप्रत्यक्ष कर कानूनों को सीबीईसी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों, कमिश्नरियों, के माध्यम से शासित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए जीएसटी लागू करने के मद्देनजर पूर्नगठन से पूर्व, देश को मुख्य कमिश्नर की अध्यक्षता में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के 27 जोनों मे बांटा गया था। इन 27 जोनों के अंतर्गत 83 समन्वित कार्यकारी कमिश्नरियां, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर से संबंधित हैं, 36 एकमात्र केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यकारी कमिश्नरियां और प्रधान कमिश्नर/कमिश्नर की अध्यक्षता में 22 एकमात्र सेवा कर कार्यकारी कमिश्नरियां है। डिवीजन और रेंज अगली संरचनाएं हैं जिनकी अध्यक्षता क्रमश: उप/सहायक कमिश्नर और अधीक्षक द्वारा की जाती है। इन

कार्यकारी कमिश्नरियों के अलावा आठ बड़ी करदाता यूनिटें (एलटीयू) कमिश्नरियां, 60 अपील कमिश्नरियां, 45 लेखापरीक्षा कमिश्नरियां और विशिष्ट कार्यों से संबंधित 20 महानिदेशालय/निदेशालय हैं।

1 जनवरी 2017 को सीबीईसी की समग्र संस्वीकृत कार्यबल संख्या 84,875 थी। सीबीईसी का संगठनात्मक ढाँचा परिशिष्ट । में दर्शाया गया है।

1.4 अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि - प्रवृत्ति एवं संयोजन

तालिका 1.2 वि.व. 13 से वि.व. 17 के दौरान अप्रत्यक्ष करों में सापेक्षित वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष कर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि.व.13	4,74,728	99,88,540	4.75	10,36,460	45.80
वि.व.14	4,97,349	1,13,45,056	4.38	11,38,996	43.67
वि.व.15	5,46,214	1,25,41,208	4.36	12,45,135	43.87
वि.व.16	7,10,101	1,35,76,086	5.23	14,55,891	48.77
वि.व.17	8,62,151	1,51,83,709	5.68	17,15,968	50.24

स्रोत: कर राजस्व: संघ वित्तीय लेखे (वि.व.17 अंनतिम), जीडीपी - सीएसओ[6] का प्रेस नोट

यह देखा गया कि वि.व. 16 की तुलना में वि.व 17 में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में थोड़ी वृद्धि हुई और सकल कर राजस्व में इसके योगदान में भी वि.व. 16 की तुलना में वि.व. 17 में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[6] केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा 31 मई 2017 को जारी जीडीपी पर प्रेस नोट। यह दर्शाता है कि वि.व. 14 और वि.व. 15 हेतु जीडीपी के आंकडे नई सिरीज प्राक्कलनों के आधार पर है; और वि.व. 17 के आँकडे विद्यमान कीमतों पर अनन्तिम प्राक्कलनों के आधार पर हैं। वि.व. 13 के पीटीपी के आंकड़े आधार वर्ष 2004-05 के वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर हैं। आंकड़ों को सीएसओ द्वारा निरंतर संशोधित किया जा रहा हैं और यह डाटा वित्तीय निष्पादन के साथ व्यापक आर्थिक निष्पादन की सांकेतिक तुलना के लिये हैं।

1.5 अप्रत्यक्ष कर - सापेक्ष योगदान

तालिका 1.3, वि.व. 13 से वि.व 17 तक की अवधि में जीडीपी के संदर्भ में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर घटकों का प्रक्षेप वक्र दर्शाती है।

तालिका 1.3: अप्रत्यक्ष कर - जीडीपी की प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	के.उ.शु. राजस्व	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में के.उ.शु. राजस्व	सेवा कर राजस्व	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सेवा कर राजस्व	सीमा शुल्क राजस्व	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सीमा शुल्क राजस्व
वि.व.13	99,88,540	1,75,845	1.76	1,32,601	1.33	1,65,346	1.66
वि.व.14	1,13,45,056	1,69,455	1.49	1,54,780	1.36	1,72,085	1.52
वि.व.15	1,25,41,208	1,89,038	1.51	1,67,969	1.34	1,88,016	1.50
वि.व.16	1,35,76,086	2,87,149	2.12	2,11,415	1.56	2,10,338	1.55
वि.व.17	1,51,83,709	3,80,495	2.51	2,54,499	1.68	2,25,370	1.48

स्रोत: कर प्राप्तियों के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे के अनुसार हैं। वि.व.17 के आंकड़े अनंतिम हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान अप्रत्यक्ष करों के बीच जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर में बढती प्रवृत्ति जारी है, जबकि वि.व.17 के दौरान जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सीमाशुल्क राजस्व में कमी हुई यद्यपि मौद्रिक रूप में सभी तीनों करों ने सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है।

1.6 केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों में वृद्धि - प्रवृत्ति एवं संयोजन

तालिका 1.4, वि.व.13 से वि.व.17 के दौरान निरपेक्ष और जीडीपी में केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व की प्रवृत्ति दर्शाती है।

तालिका 1.4: केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	सकल कर राजस्व	सकल अप्रत्यक्ष कर	केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	सकल कर राजस्व की प्रतिशतता के रूप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व	अप्रत्यक्ष कर के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व
वि.व.13	99,88,540	10,36,460	4,74,728	1,75,845	1.76	16.97	37.04
वि.व.14	1,13,45,056	11,38,996	4,97,349	1,69,455	1.49	14.88	34.07
वि.व.15	1,25,41,208	12,45,135	5,46,214	1,89,038	1.51	15.18	34.61
वि.व.16	1,35,76,086	14,55,891	7,10,101	2,87,149	2.12	19.72	40.44
वि.व.17	1,51,83,709	17,15,968	8,62,151	3,80,495	2.51	22.17	44.13

स्रोत: कर प्राप्तियों के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्तीय लेखों के अनुसार हैं। वि.व.17 के आंकड़े अनंतिम हैं।

वि.व.17 के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क सकल कर राजस्व का 22.17 प्रतिशत एवं अप्रत्यक्ष कर राजस्व का 44.13 प्रतिशत रहा। सकल कर राजस्व के साथ-साथ अप्रत्यक्ष करों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के शेयर में वि.व 14 से थोड़ी वृद्धि हुई है। वि.व.17 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व ₹ 93,346 करोड़ (32.51 प्रतिशत) तक बढ़ गया जो मुख्यत: पेट्रोलियम क्षेत्र से बढ़े राजस्व के कारण था।

1.7 उपयोग किए गए सेनवैट क्रेडिट की तुलना में केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां

एक विनिर्माता इनपुटों या पूँजीगत माल पर प्रदत्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क के साथ-साथ, उसके विनिर्माण कार्य से संबंधित इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर के क्रेडिट का लाभ ले सकता है तथा इस प्रकार लिए गये क्रेडिट का उपयोग केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान में कर सकता है।

तालिका 1.5 वि.व. 13 से वि.व. 17 के दौरान व्यक्तिगत बही खाता अर्थात नगद (पीएलए) तथा सेनवैट क्रेडिट द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 1.5 केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां : पीएलए तथा सेनवैट का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएलए द्वारा प्रदत्त के.उ.शु.		सेनवैट क्रेडिट द्वारा प्रदत्त के.उ.शु.		पीएलए भुगतान के प्रतिशत के रूप में सेनवैट क्रेडिट से प्रदत्त के.उ.शु.
	राशि#	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	राशि*	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
वि.व.13	1,75,845	21.36	2,58,697	20.88	147.12
वि.व.14	1,69,455	-3.63	2,73,323	5.65	161.30
वि.व.15	1,89,038	11.56	2,91,694	6.72	154.30
वि.व.16	2,87,149	51.90	3,10,335	6.39	108.07
वि.व.17	3,80,495	32.51	3,39,274	9.33	89.17

स्रोत: #संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे। वि.व.17 के आंकड़े अनंतिम हैं। *मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े।

यह देखा गया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व (पीएलए) ने वि.व.14 में नकारात्मक वृद्धि दर्शाई और उसके बाद के सभी वर्षों के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्शाई। पीएलए के माध्यम से प्रतिशत के रूप में सेनवैट क्रेडिट के माध्यम से केंद्रीय उत्पाद शुल्क भुगतान में लगातार गिरावट आई और वि.व.14 में 161.30 प्रतिशत से गिरकर वि.व.17 में 89.17 प्रतिशत रह गया, जोकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान नगद में अधिक होना इंगित करता है।

1.8 प्रमुख वस्तुओं से केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व

वि.व.17 के दौरान कुल केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में पांच प्रमुख वस्तुओं का योगदान 90.07 प्रतिशत था जिसे पाई चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

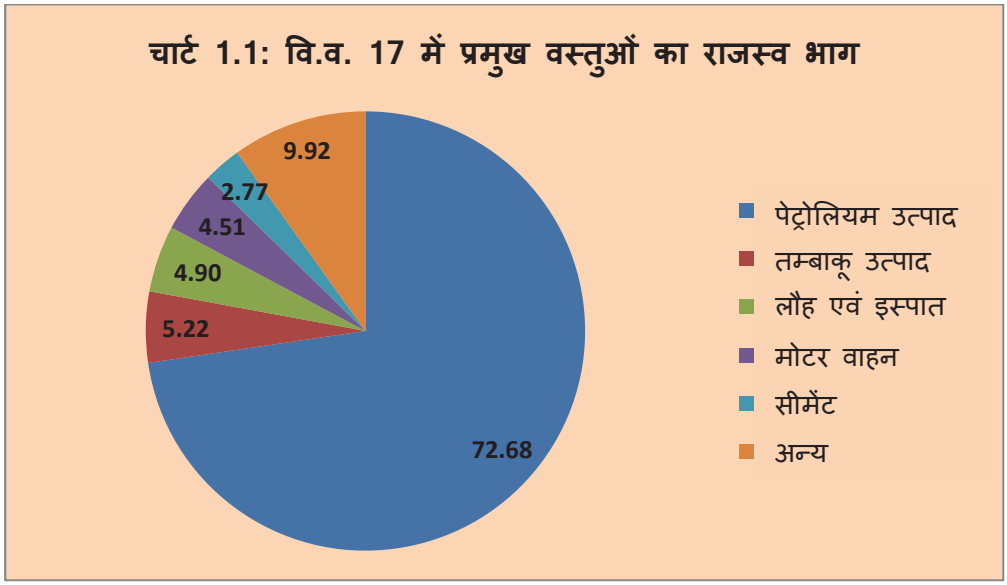

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

वि.व.13 से वि.व.17 के दौरान इन पांच प्रमुख वस्तुओं से केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: शीर्ष पांच वस्तुओं से राजस्व

(₹ करोड़ में)

वस्तुएं	वि.व.13	वि.व.14	वि.व.15	वि.व.16	वि.व.17
पेट्रोलियम उत्पाद	84,188	88,065	1,06,653	1,98,793	2,76,551
तम्बाकू उत्पाद	17,991	16,050	16,676	21,463	19,846
लौह एवं इस्पात	17,603	17,342	15,970	16,632	18,627
मोटर वाहन	10,038	8,363	8,546	14,220	17,166
सीमेंट	10,712	10,308	9,572	10,544	10,522

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया कि वि.व.16 के दौरान, पेट्रोलियम क्षेत्र से केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में ₹ 92,140 करोड़ (86.39 प्रतिशत) की बडी वृद्धि हुई थी जिसमें वि.व. 17 में ₹ 77,758 करोड़ (39.12 प्रतिशत) तक और वृद्धि हुई क्योंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क ₹ 9.20 प्रति लीटर से ₹ 21.48 प्रति लीटर तथा हाईस्पीड डीजल पर ₹ 3.46 प्रति लीटर से ₹ 17.33 प्रति लीटर तक बढ़ गया था। पेट्रोलियम उत्पादों के अलावा लौह एवं इस्पात तथा मोटर वाहनों ने भी सकारात्मक वृद्धि दर्शाई जबकि तम्बाकू उत्पादों एवं सीमेंट ने नकारात्मक वृद्धि दर्शाई।

1.9 कर आधार

"निर्धारिती" से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो उत्पाद शुल्क योग्य माल का विनिर्माता अथवा उत्पादक है अथवा निजी माल गोदाम, जिसमें उत्पाद शुल्क योग्य माल संग्रहीत किया जाता है, का पंजीकृत व्यक्ति है तथा ऐसे व्यक्ति का प्राधिकृत एजेंट भी शामिल है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने को दायी है। एक एकल कानूनी सत्त्व (कम्पनी अथवा व्यष्टि) की बहु निर्धारिती विनिर्माण इकाईयों के आधार पर पहचान हो सकती है। तालिका 1.7 केंद्रीय उत्पाद शुल्क के साथ पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या का डाटा दर्शाती है:

तालिका 1.7: केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कर आधार

वर्ष	पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	निर्धारितियों की संख्या जिन्होंने विववरणी फाइल की	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	निर्धारितियों की प्रतिशतता जिन्होंने विवरणी फाइल की
वि.व.13	4,09,139	-	1,61,617	-	39.50
वि.व.14	4,35,213	6.37	1,65,755	2.56	38.09
वि.व.15	4,67,286	7.37	1,72,776	4.24	36.97
वि.व.16	4,98,273	6.63	1,83,501	6.21	36.83
वि.व.17	5,27,534	5.87	1,91,197	4.19	36.24

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया कि सभी पांच वर्षों के दौरान पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या में वृद्धि हुई है। तथापि विवरणी फाइल करने वाले निर्धारितियों की संख्या में वृद्धि पंजीकृत निर्धारितियों की संख्या में वृद्धि के अनुरूप नहीं थी। इसके अलावा वि.व.17 में केवल 36.24 प्रतिशत निर्धारितियों ने विवरणी फाइल की। इस संदर्भ में इसे इंगित किया जाना प्रासंगिक होगा कि पंजीकृत निर्धारितियों से संबंधित डाटा तथा इस वर्ष के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत वि.व.13 से वि.व.16 के लिए फाइल की गई विवरणियों का डाटा मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष प्रस्तुत डाटा और 2017 के सीएजी के प्रतिवेदन संख्या 3 में सूचित डाटा के समनुरूप नहीं हैं। निर्धारितियों और विवरणियों से संबंधित डाटा की

शुद्धता और विवरणी फाइल न करने वाले निर्धारितियों की उच्च प्रतिशतता मंत्रालय के लिए चिंता का विषय है।

1.10 बजट प्राक्कलन बनाम वास्तविक प्राप्तियां

तालिका 1.8 बजट प्राक्कलन और तदनुरूपी वास्तविक केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों की तुलना दर्शाती है।

तालिका 1.8: बजट, संशोधित प्राक्कलन और वास्तविक प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक एवं बीई के बीच अंतर	वास्तविक और बीई के बीच अंतर की प्रतिशतता	वास्तविक और आरई के बीच अंतर की प्रतिशतता
वि.व.13	1,94,350	1,71,996	1,75,845	(-)18,505	(-)9.52	(+)2.24
वि.व.14	1,97,554	1,79,537	1,69,455	(-)28,099	(-)14.22	(-)5.62
वि.व.15	2,07,110	1,85,480	1,89,038	(-)18,072	(-)8.73	(+)1.92
वि.व.16	2,29,809	2,84,142	2,87,149	57,340	24.95	(+)1.06
वि.व.17	3,18,670	3,87,369	3,80,495	61,825	19.40	(-)1.77

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे तथा प्राप्ति बजट दस्तावेज। वि.व.17 की वास्तविक प्राप्तियों के आंकड़े अनंतिम हैं।

यह देखा गया कि वि.व.17 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क का वास्तविक संग्रहण बजट प्राक्कलनों से लगभग 19 प्रतिशत अधिक था तथापि संशोधित बजट अनुमानों से लगभग 2 प्रतिशत कम था।

1.11 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनिमय के अन्तर्गत छोड़ा गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व

केंद्र सरकार को केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944, की धारा 5ए(1) के तहत जन हित में छूट अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है ताकि शुल्क दरों को अनुसूची में निर्धारित टैरिफ दरों से कम निर्धारित किया जा सके। छूट अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित दरें "प्रभावी दरों" के रूप में जानी जाती हैं। छोड़े गए राजस्व को, छूट अधिसूचना के बिना देय शुल्क और उक्त अधिसूचना के अनुसार अदा किए गए वास्तविक शुल्क के बीच अंतर के रूप

में परिभाषित किया गया है और 2016-17 के बजट तक निम्नलिखित तरीके से गणना की गई थी:

- ऐसे मामलों में जहां टैरिफ और शुल्क की प्रभावी दरें यथा मूल्यानुसार विनिर्दिष्ट की जाती हैं- **छोड़ा गया राजस्व = सामान का मूल्य X (शुल्क की टैरिफ दर - शुल्क की प्रभावी दर)**
- ऐसे मामलों में जहां टैरिफ दर यथामूल्य आधार पर है किन्तु छूट अधिसूचना के अनुसार निर्धारित दर पर प्रभावी शुल्क वसूला जाता है तब - **छोड़ा गया राजस्व = (सामान का मूल्य X शुल्क की टैरिफ दर) - (सामान की मात्रा X विशेष शुल्क की प्रभावी दर)**
- ऐसे मामलों में जहां टैरिफ दर और प्रभावी दर यथामूल्य तथा विशिष्ट दरों का संयोजन है, तो परित्यक्त राजस्व की गणना उसके अनुसार की जाती है।
- सभी मामलों में, जहां शुल्क की टैरिफ दर प्रभावी दर के बराबर हो, तो छोड़ा गया राजस्व शून्य होगा।

2017-18 के बजट से केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव की गणना करने की पद्धति संशोधित कर दी गई है। बिना शर्त वाली अधिसूचनाओं द्वारा लागू दरों को वास्तविक दरों के रूप में माना गया है और परित्यक्त राजस्व की गणना से बाहर रखा गया है। परित्यक्त राजस्व अब केवल सशर्त छूटों के लिए है जो टैरिफ दरों अथवा वास्तविक टैरिफ दर की तुलना में घटी दरें अनुमत करती है।

तालिका 1.9 पिछले पांच वर्षों के दौरान संघ सरकार के बजटीय दस्तावेजों में बताए अनुसार छोड़े गये राजस्व से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आंकड़ों को दर्शाती है।

तालिका 1.9: केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां तथा कुल छोड़ा गया राजस्व

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियां$	छोड़ा गया राजस्व*	केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में छोडा गया राजस्व
वि.व.13	1,75,845	2,09,940	119.39
वि.व.14	1,69,455	1,96,223	115.80
वि.व.15	1,89,038	1,96,789	104.10
वि.व.16	2,87,149	79,183	27.58
वि.व.17	3,80,495	76,844	20.20

स्रोत: $संघ वित्त लेखे, वि.व.17 के आंकड़े अंनतिम हैं। *संघ प्राप्तियां, बजट विव 16 व विव 17 के आकडे जैसे बजट 2017-18 में दिखाया गया।

पिछले वर्षों की तुलना में वि.व.16 और वि.व.17 के परित्यक्त राजस्व आंकड़ों में इतनी अधिक कमी पूर्व में उल्लिखित पद्धति में परिवर्तन के कारण है।

1.12 केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बकाया

कानून में मांग किए गए लेकिन वसूली नहीं किए गए राजस्व की विभिन्न तरीकों से वसूली करने का प्रावधान हैं। इनमें राशियों के प्रति समायोजन, यदि कोई हों, जो कि उस व्यक्ति को देय, जिससे राजस्व वसूला जाना हो, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं की बिक्री और उसे जब्त करके वसूली तथा जिला राजस्व प्राधिकरण के माध्यम से वसूली शामिल है।

तालिका 1.10 राजस्व बकाए की वसूली के संबंध में विभाग का निष्पादन दर्शाती है।

तालिका 1.10: बकाया वसूली - केंद्रीय उत्पाद शुल्क

(₹ करोड़ में)

	वि.व.17	
	सकल बकाया[7]	**वसूली योग्य बकाया**[8]
अथ शेष	74939.64	7750.62
वर्ष के दौरान वृद्धि	37591.35	5314.21
कुल बकाया	112530.99	13064.83
मांग का निस्तारण[9]	26252.21	2755.62
वसूल किए गए बकाया	2079.09	1233.79
कुल बकाये की % के रूप में वसूला गया बकाया	1.85	9.44
अन्त शेष	84199.69	9075.42

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े। मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए अन्त शेष के आंकड़ों में मामूली अंतर है।

यह देखा जा सकता है कि विभाग द्वारा विव.17 के दौरान केवल 9.44 प्रतिशत वसूलीयोग्य बकाए की वसूली की जा सकी। अत्यधिक वसूली योग्य बकाये को देखते हुये महत्वपूर्ण है कि जीएसटी में संक्रमण पश्चात भी कर विभाग विशिष्ट रूप से पुराने मामलों में ध्यान दे।

1.13 अपवंचन रोधी उपायों के कारण वसूल किया गया अतिरिक्त राजस्व

महानिदेशक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना (डीजीसीईआई) के साथ-साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर कमिश्नरियों दोनों की केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलों का पता लगाने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका है। जहाँ कमिश्नरियां, अपने क्षेत्राधिकार में इकाईयों के बारे में उनके व्यापक डाटा बेस तथा क्षेत्र में उपस्थिति के कारण शुल्क अपवंचन को रोकने हेतु प्रथम रक्षा स्तर हैं, वहीं डीजीसीईआई को वास्तविक राजस्व के अपवंचन के बारे में विशिष्ट आसूचना संग्रहण में विशिष्टता प्राप्त है। इस प्रकार से संग्रहीत आसूचना, कमिश्नरियों के साथ साझा की जाती है। अखिल भारतीय शाखाओं वाले मामलों

[7] एकल बढाया में खडे हुये, प्रतिबंधित (बीआईएफ लम्बित स्टे प्रार्थना पत्र) इत्यादि और

[8] उन मामलों से संबंधित जितमें माँग की पुष्टि की जा चुकी है किन्तु निर्धारित रूप में अपील नहीं दी गई। अनुसरणीय बजाय नियंत्रण आयोग द्वारा निपटाये गये मामले आदि।

[9] मांग के निस्तारण में विभाग के पक्ष में/विभाग के विरूद्ध मांग की पुष्टि, नए सिरे से अधिनिर्णयन का आदेश, बकाए अन्य कार्यालयों/श्रेणी में स्थानांतरित बकाया आदि शामिल है।

में डीजीसीईआई द्वारा जांच भी की जाती हैं। तालिका 1.11 गत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.11: गत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई का अपवंचन रोधी निष्पादन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पकड़े गए मामले		जांच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान
	मामलों की संख्या	राशि	राशि
वि.व.15	2,123	4,335	546
वि.व.16	2,366	5,297	804
वि.व.17	2,122	5,773	795

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

यह देखा गया है कि वि.व. 17 में डीजीसीईआई द्वारा पता लगाए गए मामलों की संख्या घटी है जबकि वि.व. 16 की तुलना में शामिल राशि में वृद्धि हुई है। यद्यपि, जांच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान में कमी आई है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कर प्रशासन

1.14 केंद्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा

सीबीईसी ने 1996 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में स्व-निर्धारण शुरू किया। स्व-निर्धारण शुरू करने के साथ विभाग ने विवरणियों के संवीक्षा के माध्यम से अन्य के साथ एक मजबूत अनुपालन सत्यापन तंत्र के प्रावधान की भी संकल्पना की।

विभाग ने हमारे बार-बार के अनुस्मारकों के बावजूद वि.व.17 की विवरणियों की संवीक्षा की सूचना नहीं दी थी। विभाग ने बताया था कि जीएसटी के लिए विभाग के पुनर्गठन के कारण, कई नए क्षेत्रीय कार्यालयों से डाटा एकत्र करना व्यवहार्य नहीं था। इससे इस चिंता को बल मिलता है कि पुराने मामलों को नजर अंदाज किया जा सकता है। विभाग को, वास्तव में व्यवस्थित रुप से पुराने मामलों को नये कार्यालयों को सौंपना चाहिए तथा पुराने कार्यालय से नये कार्यालयों में पुराने मामलों के हस्तातंतरण पर भी नजर रखनी चाहिए।

1.15 अधिनिर्णय

अधिनिर्णय वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभागीय अधिकारी निर्धारितियों की कर देयता से संबंधित मामलों का निर्धारण करते हैं। ऐसी प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ सेनवैट क्रेडिट, मूल्यांकन, प्रतिदाय दावे, अंनतिम निर्धारण इत्यादि से संबंधित पहलूओं पर विचार करना शामिल हो सकता है। अधिनिर्णयन प्राधिकारी के निर्णय को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपीलीय फोरम में चुनौती दी जा सकती है।

तालिका 1.12 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनिर्णय का वर्षवार विश्लेषण दर्शाती है।

तालिका 1.12: विभागीय प्राधिकारियों के पास अधिनिर्णय हेतु लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

वर्ष	31 मार्च तक लम्बित मामले		एक वर्ष से अधिक से लम्बित मामलों की संख्या
	संख्या	राशि	
वि.व.15	27,425	23,765	4,984
वि.व.16	23,014	29,355	3,637
वि.व.17	10,347	20,474	2,093

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

एक वर्ष से अधिक तक लम्बित मामलों सहित अधिनिर्णय के मामलों की संख्या वि.व.16 की तुलना में वि.व.17 में महत्वपूर्ण रूप से घटी है किंतु इन मामलों में शामिल राशि उसी अनुपात में नहीं घटी है।

1.16 प्रतिदाय दावों का निपटान

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11बी दावे तथा प्रतिदाय की मंजूरी का कानूनी अधिकार देती है। प्रतिदाय शब्द में भारत से बाहर निर्यातित उत्पाद शुल्क योग्य माल पर प्रदत्त उत्पाद शुल्क के साथ साथ भारत के बाहर निर्यातित माल के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री पर प्रदत्त उत्पाद शुल्क पर छूट सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा11 बीबी निर्धारित करती है कि यदि प्रतिदाय के आवेदन की तिथि से तीन महीने के अन्दर प्रतिदाय नहीं किया गया तो प्रतिदाय राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाना है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली निर्धारित करती है कि विभाग को प्रतिदाय

दावे केवल तब स्वीकार करने चाहिए जब वह सभी सहायक दस्तावेजों के साथ हों क्योंकि बिना आवश्यक दस्तावेजों के प्रतिदाय दावे की मंजूरी में विलम्ब हो सकता है।

तालिका 1.13 विभाग द्वारा प्रतिदाय दावों के निपटान की स्थिति को दर्शाती है। दर्शाया गया विलंब प्रतिदाय आवेदन की प्राप्ति की तिथि से दावों के अंतिम प्रसंस्करण तक लिये गए समय के अनुसार है।

तालिका 1.13 केंद्रीय उत्पाद शुल्क में प्रतिदाय दावों का निपटान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष		प्राप्तियां (वर्ष के दौरान)		निपटान (वर्ष के दौरान)				3 महीने के भीतर निपटान किए गए मामलों की संख्या	मामलें जहां ब्याज का भुगतान किया गया है	
					मंजूर प्रतिदाय		नामंजूर प्रतिदाय				
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि		मामलों की संख्या	राशि
वि.व.16	82,146	7,878	3,36,614	27,829	3,65,485	27,593	7,577	1,763	3,24,340	3	0.01
वि.व.17	45,719#	6,356#	3,18,462	27,903	3,13,487	25,874	6,471	2,342	17,957	3	0.09

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े #वि.व. 16 का अथशेष वि.व. 17 के अथशेष से मेल नहीं खाता है।

यह देखा गया है कि मामलों की संख्या के साथ-साथ प्रतिदाय मामलों के निपटान में शामिल राशि वि.व. 16 की तुलना में वि.व.17 में घटी है। वि.व.17 में निपटान किए गए कुल 3,19,958 मामलों में से केवल 17,957 मामले (5.61 प्रतिशत) निर्धारित तीन महीने की अवधि में प्रसंस्कृत किए गए थे। वि.व. 16 में तीन महीनों के अन्दर 86.94 प्रतिशत मामलों के निपटान की तुलना में यह एक बड़ी गिरावट है। इसके अलावा, विभाग ने केवल तीन मामलों में ब्याज का भुगतान किया था। इस प्रकार निपटान के लगभग 94 प्रतिशत एवं विलम्बित प्रतिदायों के लगभग सभी मामलों में ब्याज का भुगतान न करने में भी विलम्ब था, दोनों ही अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

तालिका 1.14 गत दो वर्षों के दौरान प्रतिदाय दावों के लम्बन का काल वार विश्लेषण दर्शाती है।

तालिका 1.14: 31 मार्च तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिदाय मामलों का अवधि-वार विलम्बन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	31 मार्च तक लम्बित प्रतिदाय दावों की कुल संख्या		लम्बित प्रतिदाय दावों			
			एक वर्ष से कम		एक वर्ष से अधिक	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
वि.व.16	45,719#	6,356#	45,592	6,273	127	83
वि.व.17	44,223	6,043	44,211	6,039	12	3

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े। #वि.व.16 के अंतिम शेष के आंकड़ों में भिन्नता, #मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई थी।

यह देखा गया है कि लम्बित प्रतिदाय दावे के साथ-साथ शामिल राशि वि.व.16 की तुलना में वि.व.17 में सीमांत रूप से कम हुए हैं।

1.17 कॉल बुक

परिपत्र सं. 992/16/2014-सीएक्स दिनांक 26 दिसम्बर 2014 और 1023/11/2016-सीएक्स दिनांक 8 अप्रैल 2016 के साथ पठित बोर्ड के विषय से संबंधित परिपत्र सं. 162/73/95-सीएक्स 3 दिनांक 14 दिसम्बर 1995 में यह परिकल्पना की गई है कि मामले जिनका कतिपय कारणों जैसे विभागीय अपील, न्यायालय से आदेश आदि के कारण अधिनिर्णय नहीं हो सकता, उनकी कॉल बुक में प्रविष्टि की जाए। सदस्य (के.उ.शु.) ने दिनांक 3 जनवरी 2005 के अपने डी.ओ.एफ. सं. 101/2/2003-सीएक्स-3 में यह जोर दिया था कॉल बुक के मामलों की प्रत्येक माह समीक्षा की जानी चाहिए। महानिदेशक निरीक्षण (सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क) ने दिनांक 29 दिसम्बर 2005 के अपने पत्र में यह कहते हुए कि माहवार समीक्षा से कॉल बुक में अपुष्ट माँगों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है, मासिक समीक्षा की आवश्यकता को दोहराया।

तालिका 1.15 तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कॉल बुक क्लीयरेंस के संदर्भ में विभाग के निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 1.15: 31 मार्च तक लम्बित कॉल बुक मामले

वर्ष	अथ शेष	वर्ष के दौरान कॉल बुक में हस्तांतरित नये मामले	वर्ष के दौरान निपटान	वर्ष के अन्त में अन्त: शेष	शामिल राजस्व (₹ करोड़ में)	वर्ष के अन्त में विलम्बन का अवधि बार विघटन		
						6 माह से कम	6-12 माह	1 वर्ष से अधिक
वि.व.15	35,617	9,552	8,846	36,323	65,765	4,841	2,276	29,206
वि.व.16	37,018	7,437	7,994	36,461	64,260	5,157	2,479	28,394
वि.व.17	36,030	13,418	19,768	29,682[10]	58,648	5,601	2,457	21,624

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

यह देखा गया है कि वि.व.17 में कॉल बुक में मामलों का लम्बन पर्याप्त रूप से घटा है, हालांकि यह अब भी अधिक है जोकि सतर्क निगरानी एवं समीक्षा की आवश्यकता को दर्शाता है। आगे यह देखा गया कि अथ शेष पिछले वर्षों के अंतिम शेष के साथ मेल नहीं खाता हैं।

1.18 अपील मामले

अधिनिर्णय प्राधिकारियों के अलावा, विभागीय अपीलीय प्राधिकारी, विधिक न्यायालय इत्यादि सहित कई अन्य प्राधिकारी हैं, जहां न्यायिक मामले, निर्वचन इत्यादि पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, कई मामलों में विभाग भी अनिवार्य वसूली उपायों का सहारा लेता है। अत: राजस्व की बड़ी राशि काफी लम्बी अवधि के लिए उगाही के लिए शेष रह जाती है। सीबीईसी द्वारा प्रस्तुत डाटा के आधार पर हमने तालिका 1.16 में विभिन्न फोरम से मामलों के विलम्बन को तालिकाबद्ध किया है।

[10] मंत्रालय द्वारा प्रदत्त अन्त शेष के आंकड़ों में भिन्नता

तालिका 1.16: केंद्रीय उत्पाद शुल्क में अपीलों का विलम्बन

वर्ष	फोरम	वर्ष के अन्त तक लम्बित अपीलें					
		पार्टी की अपीलों का विवरण		विभागीय अपीलों का विवरण		जोड़	
		अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़ में)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़ में)	अपीलों की संख्या	शामिल राशि (₹ करोड़ में)
वि.व.15	सर्वोच्च न्यायालय	636	1,752	1395	4,666	2,031	6,418
	उच्च न्यायालय	3,740	5,543	4,531	7,514	8,271	13,057
	सेसटेट	28,465	51,252	11,134	7,477	39,599	58,729
	निपटान आयोग	82	135	2	1	84	136
	कमिश्नर (अपील)	10,505	2,899	1,751	298	12,256	3,197
	जोड़	**43,428**	**61,581**	**18,813**	**19,956**	**62,241**	**81,537**
वि.व.16	सर्वोच्च न्यायालय	570	2,153	1,102	4,360	1,672	6,513
	उच्च न्यायालय	3,548	7,207	4,041	8,855	7,589	16,062
	सेसटेट	29,443	57,035	9,613	8,571	39,056	65,606
	निपटान आयोग	77	98	0	0	77	98
	कमिश्नर (अपील)	11,835	3,494	1,915	389	13,750	3,883
	जोड़	**45,473**	**69,987**	**16,671**	**22,175**	**62,144**	**92,162**
वि.व.17	सर्वोच्च न्यायालय	581	2,267	977	5,804	1,558	8,071
	उच्च न्यायालय	3,528	9,005	3,170	10,329	6,698	19,334
	सेसटेट	30,201	65,760	7,120	11,915	37,321	77,675
	निपटान आयोग	71	77	0	0	71	77
	कमिश्नर (अपील)	12,711	3,047	2,243	359	14,954	3,406
	जोड़	**47,092**	**80,156**	**13,510**	**28,407**	**60,602**	**1,08,563**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

तालिका दर्शाती है कि ₹ 1,08,563 के राजस्व वाले मामले वि.व.16 के अंत में लम्बित राशि पर 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वि.व.17 के अंत में अपीलों में लम्बित थे। चूँकि जब तक अपील लम्बित है, राजस्व की वसूली के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती, इसलिए राजकोष में ₹ 1,08,563 करोड के संभव राजस्व को लाने के लिए प्राधिकरणों द्वारा पहले निपटान करना महत्वपूर्ण है।

मंत्रालय ने वि.व.16 और वि.व.17 के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अपील मामलों के निपटान के विवरण प्रदान किए हैं। डाटा तालिका 1.17 में प्रस्तुत है:

तालिका सं. 1.17: गत दो वर्षों के दौरान निर्णीत मामलों का ब्रेक अप (केउशु)

वर्ष	फोरम	विभागीय अपील				पार्टी की अपील			
		विभाग के पक्ष में निर्णय	विभाग के विरूद्ध निर्णय	वापिस योजना	विभाग की सफल अपीलों का %	पार्टी के पक्ष में निर्णय	पार्टी के विरूद्ध निर्णय	वापिस योजना	पार्टी की सफल अपील का %
वि.व.16	सर्वोच्च न्यायालय	64	465	29	11.47	110	77	16	54.19
	उच्च न्यायालय	216	926	56	18.03	289	456	123	33.29
	सेसटेट	666	1,619	165	27.18	2,415	856	742	60.18
	निपटान आयोग	2	1	0	66.67	8	44	2	14.81
	कमिश्नर (अपील)	443	525	12	45.20	3,561	3,311	219	50.22
	जोड़	**1,391**	**3,536**	**262**	**26.81**	**6,383**	**4,744**	**1,102**	**52.20**
वि.व.17	सर्वोच्च न्यायालय	27	204	8	11.30	21	36	8	32.31
	उच्च न्यायालय	165	1,212	26	11.76	296	359	80	40.27
	सेसटेट	422	3,179	275	10.89	4,260	1,056	1,199	65.39
	निपटान आयोग	0	0	0	NA	13	45	4	20.97
	कमिश्नर (अपील)	395	573	51	38.76	4,759	3,328	383	56.19
	जोड़	**1,009**	**5,168**	**360**	**15.44**	**9,349**	**4,824**	**1,674**	**59.00**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

तालिका दर्शाती है कि अधिनिर्णय आदेश के प्रति विभागीय अपील का सफलता अनुपात वि.व.16 में 26.81 प्रतिशत से वि.व.17 में 15.44 प्रतिशत तक कम हुआ है। सफलता अनुपात 11 प्रतिशत और 12 प्रतिशत के बीच होता है जब विभाग अपील के लिए सेसटेट एवं उपर गया।

1.19 संग्रहण की लागत

तालिका 1.18 राजस्व संग्रहण की तुलना में संग्रहण की लागत दर्शाती है।

तालिका 1.18: केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्राप्तियॉ और संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्तियां	सेवा कर से प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	संग्रहण की लागत	कुल प्राप्तियों के % के रूप में संग्रहण की लागत
वि.व.13	1,75,845	1,32,601	3,08,446	2,439	0.79
वि.व.14	1,69,455	1,54,780	3,24,235	2,635	0.81
वि.व.15	1,89,038	1,67,969	3,57,007	2,950	0.83
वि.व.16	2,87,149	2,11,415	4,98,564	3,162	0.63
वि.व.17	3,80,495	2,54,499	6,34,994	4,056	0.64

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्तीय लेखे। वि.व.17 के आंकड़े अस्थायी हैं।

पिछले वर्ष की तुलना में वि.व.17 में संग्रहण की लागत बहुत अधिक बढ़ गई थी। तथापि, चूँकि पिछले वर्ष की तुलना में वि.व.17 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्तियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, इसलिए कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के तौर पर संग्रहण की लागत ने सीमांत रूप से वृद्धि दर्शाई है।

1.20 आंतरिक लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा उद्देश्य के लिए 'क' श्रेणी इकाईयों को वार्षिक इकाइयां जबकि 'ख' श्रेणी को द्विवर्षीय इकाईयां माने जाने के साथ विभाग ने इकाइयों को वार्षिक राजस्व पर आधारित क, ख, ग और घ श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया था। प्रत्येक कमिश्नरी में स्थित लेखापरीक्षा सेल आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है। अक्तूबर 2014 में विभाग की पुनर्संरचना के बाद नई लेखापरीक्षा कमिश्नरी का गठन हुआ जिसके बाद डीजी (लेखापरीक्षा) द्वारा किए गए केन्द्रीकृत जोखिम निर्धारण पर आधारित विभाग ने लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों को तीन श्रेणियों अर्थात बड़ी, मध्यम एवं छोटी इकाईयों में पुनर्गठित किया। लेखापरीक्षा कमिश्नरी में उपलब्ध श्रमशक्ति बड़ी, मध्यम एवं छोटी इकाइयों के बीच 40:25:15 में आवंटित हैं और शेष 20 प्रतिशत श्रमशक्ति को नियोजन समन्वय एवं अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रयोग किया जाता है।

तालिका 1.19 लेखापरीक्षित इकाइयों की तुलना में कमिश्नरी के लेखापरीक्षा दलों द्वारा वि.व.17 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए शेष केंद्रीय उत्पाद शुल्क इकाइयों के विवरण को दर्शाती है।

तालिका 1.19: वि.व.17 के दौरान की गई निर्धारितियों की लेखापरीक्षाएं

वर्ष	श्रेणी	शेष इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षा में कमी (सं.)	लेखापरीक्षा में कमी (%)
वि.व.17	बड़ी इकाइयां	7,510	4,271	3,239	43.13
	मध्यम इकाइयां	10,919	6,256	4,663	42.71
	छोटी इकाइयां	17,205	10,571	6,634	38.56

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

विभाग ने लेखापरीक्षा कमिश्नरियों में उपलब्ध श्रमशक्ति में फैक्टरिंग द्वारा लेखापरीक्षा के लिए शेष इकाइयों के राजस्व पर आधारित चयन से जोखिम आधारित चयन में बदला था। लेखापरीक्षा के लिए निर्धारितियों के चयन में कार्यप्रणाली में परिवर्तन के बावजूद बड़ी इकाइयों और मध्यम इकाइयों में लेखापरीक्षा में कमी अब भी 40 प्रतिशत से अधिक है। लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या में कमी जो कि पूर्व- पुन: संरचित समय (जैसा कि 2016 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं.2 में टिप्पणी की गई है) में अनिवार्य इकाइयों में 29 प्रतिशत थी, 43 प्रतिशत तक बढ़ गयी थी, हालांकि वि.व.17 में 7,510 की तुलना में वि.व.15 में लेखापरीक्षा के लिए 12,048 इकाइयां शेष थीं। इस प्रकार लेखापरीक्षा के संचालन में कमी, पृथक लेखापरीक्षा कमिश्नरियों और संशोधित चयन प्रणाली के बावजूद बढ़ गई है।

विभाग द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम तालिका 1.20 में दिखाये गये है।

तालिका 1.20: वर्ष के दौरान आपत्ति की गई एवं वसूली गई राशि

(₹ करोड़ में)

वि.व.	श्रेणी	पता लगाई गई कम उगाही की राशि	कुल वसूली की राशि
वि.व.17	बड़ी	1,760	591
	मध्यम	412	218
	छोटी	256	151
कुल		**2,428**	**960**

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

यह देखा गया है कि बड़ी इकाइयों में पता लगाई गई एवं वसूली गई कम उगाही की राशि बड़ी इकाइयों में आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए अधिक साधनों को आंवटित करने की आवश्यकता को दर्शाते हुए अन्य इकाइयों से बहुत अधिक है।

1.21 विभागीय प्रयासों के कारण राजस्व संग्रहण

कई विधियाँ है जिनसे विभाग प्राप्य राजस्व संग्रहण करता है, जो करदाताओं द्वारा प्रदत्त नहीं हैं। इन विधियों में विवरणियों की संवीक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा, अपवंचन-रोधी, अधिनिर्णय इत्यादि शामिल हैं।

विभागीय प्रयासों के परिणाम तालिका 1.21 में दिखाये गए हैं।

तालिका 1.21: विभागीय प्रयासों द्वारा वसूल किया गया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभागीय कार्रवाई	वि.व. 16 के दौरान वसूली	वि.व. 17 के दौरान वसूली
1	अन्तरिक लेखापरीक्षा	369	304
2	अपवंचन - रोधी	373	382
3	पुष्ट मांगे	792	1,043
4	पूर्व जमा	579	368
5	विवरणियों की संवीक्षा	297	291
6	चूककर्ताओं से वसूली	2,874	3,486
7	अनंतिम निर्धारण	67	64
8	अन्य	324	174
	कुल	5,675	6,112

स्रोत: मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकडे

वि.व.17 के दौरान कुल केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण ₹ 3,80,495 करोड़ है, जिसमें से विभागीय प्रयासों के कारण 1.61 प्रतिशत दर्शाते हुए केवल ₹ 6,112 करोड़ ही एकत्रित किया गया। इसके अलावा यह देखा गया है कि आंतरिक लेखापरीक्षा और अपवंचन रोधी के तहत संग्रहीत राजस्व तालिका क्रमश: तालिका 1.20 और 1.11 में दर्शायी गई उसी श्रेणी से संबंधित राशि से मेल नहीं होती। वास्तव में, तालिका 1.21 (₹ 382 करोड़) में दर्शायी गई वसूलियां तालिका 1.11 (₹ 795 करोड़) में सूचित अपवंचन रोधी की तुरंत वसूली से बहुत कम है। यद्यपि वि.व.15 और वि.व.16 के दौरान मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए डाटा के संबंध में समान डाटा त्रुटि पिछले वर्ष (2016 की रिपोर्ट सं. 2 और 2017 की रिपोर्ट सं.3) केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा मंत्रालय के ध्यान में लाई गई परन्तु मंत्रालय ने 2017 में बिना उचित सत्यापन के समान डाटा भेजा।

प्रस्तुत डाटा की विश्वसनीयता संदेहास्पद है क्योंकि विभागीय प्रयासों द्वारा वसूले गए राजस्व के संबंध में इस वर्ष मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत डाटा 2017 की सीएजी की रिपोर्ट सं.3 में सूचित और मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष प्रस्तुत डाटा के साथ मेल नहीं खाते।

1.22 लेखापरीक्षा प्रयास एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा उत्पाद-अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

अनुपालन लेखापरीक्षा, महानिदेशकों (डीजी)/प्रधान निदेशकों लेखापरीक्षा (पीडी) के नेतृत्व में नौ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई थी जिन्होंने लेखापरीक्षा एवं लेखे विनियम 2007 (यथा संशोधित) के अनुसार और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानक, दूसरा संस्करण 2002 के अनुरूप में वि.व.17 में 1055 (सीएक्स और एसटी) इकाइयों की लेखापरीक्षा की थी।

संघ वित्त लेखों से डाटा के साथ डीओआर, सीबीईसी और उसके क्षेत्रीय संरचनाओं में मूल अभिलेखों/दस्तावेजों, सीबीईसी के एमआईएस, एमटीआर की जांच के साथ अन्य पणधारकों की रिपोर्ट का उपयोग किया गया।

1.23 प्रतिवेदन विहंगावलोकन

वर्तमान प्रतिवेदन में ₹ 665.93 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 104 पैराग्राफ हैं। सामान्य: चार प्रकार के अवलोकन थे: केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न करना/कम भुगतान, सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना/उपयोग, आंतरिक नियंत्रण का प्रभावकारिता एवं अन्य मामले। विभाग/मंत्रालय ने पहले से ही, कारण बताओं नोटिस जारी करने, एससीएन के अधिनर्णयन के रूप में 93 पैराग्राफ में ₹ 343.30 करोड़ मूल्य की राशि वाली उपचारात्मक कार्रवाई की है और ₹ 271.45 करोड़ की वसूली सूचित की है।

1.24 सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का राजस्व प्रभाव/अनुवर्ती कार्यवाही

पिछले पांच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों रिपोर्ट (वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट सहित) में हमने ₹ 1300.49 करोड़ वाले 391 लेखापरीक्षा पैराग्राफ (तालिका 1.22) शामिल किए थे।

तालिका 1.22: प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

(₹ करोड़ में)

वर्ष			वि.व.13	वि.व.14	वि.व.15	वि.व.16	वि.व.17	कुल
शामिल पैराग्राफ		सं.	62	68	64	93	104	391
		राशि	182.90	125.11	147.87	178.68	665.93	1300.49
स्वीकृत पैराग्राफ	प्रिटिंग के पूर्व	सं.	58	60	47	79	93	337
		राशि	179.44	90.71	135.85	132.13	343.30	881.43
	प्रिटिंग के बाद	सं.	-	1	2	-	-	3
		राशि	-	0.36	1.20	-	-	1.56
	कुल	सं.	58	61	49	79	93	340
		राशि	179.44	91.07	137.05	132.13	343.30	882.99
की गई वसूलियां	प्रिटिंग के पूर्व	सं.	36	28	30	48	44	186
		राशि	21.29	27.44	27.95	30.44	271.45	378.57
	प्रिटिंग के बाद	सं.	1	3	2	8	-	14
		राशि	0.56	3.09	1.20	2.06	-	6.91
	कुल	सं.	37	31	32	56	44	200
		राशि	21.85	30.53	29.15	32.50	271.45	385.48

स्रोत: सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मंत्रालय ने ₹ 882.99 करोड़ वाले 340 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियों की स्वीकार किया था और ₹ 385.48 करोड़ की वसूली की थी।